मामलों में पेंशन भुगतान को सुनिश्चित किये जाने के प्रावधान योजना के लाभों को उन अंशदाताओं पर भी लागू किये जाने जो परिवार पेंशन योजना, 1971 में संबंधित आहरण लाभ को वापस किये जाने तथा उजरती दर वाले कर्मकारोम को दायरे में लाए जाने से संबंधित थे । इन सुझावों पर विचार किया गया था और 28.2.1996 को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में आवश्यक संशोधन किये जाने संबंधी एक अधिसूचना जारी की गयी थी । केन्द्रिय न्यासी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, कर्मचारी भाविष्य निधि योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आरक्षित माता-पिता के लिए पेंशन की अदयगी और विकलांग बच्चों को आजीवन पेंशन दिये जाने का प्रावधान करके और भी संशोधित कर दिया है । 22.2.1999 को इस संबंध्न में एक अधिसूचना जारी की गयी थी । वैयक्तिक विकल्प का प्रावधान किये जाने, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़े जाने और तीसरे लाभ के रूप में पेंशन दिये जाने को वीभांकि के रूप से स्वीकार करने के लिये व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

Clearance of National Child Labour Projects

1331. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have cleared National Child Labour Projects worth Rs. 261 crores, recently;

(b) if so, the details of these projects;

(c) whether the State Governments have been asked by the Government to implement the projects in a time-bound manner and curb the practice of child labour; and

(d) if so, the details thereof and further reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) Government has approved Rs. 261 crores for continuance of the revised scheme of National Child Labour Projects during the Ninth Five Year Plan. Under the scheme, financial assistance is released directly to the Child Labour Project Societies at the district level for running special schools for the rehabilitation of child labour. The special schools have provision non-formal education, vacational training, nutrition, stipend, health-care etc. So far, 76 child labour projects have been sanctioned in the child labour endemic States for coverage of 1.5 lakh children. Considering the nature and magnitude of the problem a gradual progressive and sequential approach has been adopted to rehabilitate child labour. A Central Monitoring Committee with representatives with State Governments have been set up to monitor implementation of the Projects.

द्वारका आवास परियोजना में नियोजित मजदूर

1332. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि द्वारका आवास परियोजना में नियोजित मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि बाल मजदूरों को दिन भर काम करने के बाद भी दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ मजदूरों की इस परियोजना में काम करते समय कार्य स्थल पर ही मृत्यु हो गई?

श्रम मंत्री (डा. सत्यानारायण जटिया) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्राप्त सूचना के अनुसार, द्वारका आवासीय परियोजना में नियोजित किये गये श्रमिकों के सबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है तथा शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिये कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा समय-समय पर किये गये सर्वेक्षणो के अनुसार, उपर्युक्त परियोजना में कोई बाल श्रमिक कार्य करता नहीं पाया गया है ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।